न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी

उपखण्ड कनवास जिला कोटा

मिसल नंबर 384 / 14 निर्णय दिनाक 25.05.2017

1. रामप्रसाद पुत्र घांसीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास।

बनाम

1. रामदयाल पुत्र घांसीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

उपस्थित :-

वादी स्वंय

प्रतिवादी 02 की ओर से पेरोकार सरकार

दावा बाबत विभाजन आराजी अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बालहेडा तहसील सांगोद वर्तमान तहसील कनवास जिला कोटा में वादी व प्रतिवादी नंबर 01 के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की 1.62 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसमें आया हिस्सा वादी का व आधा हिस्सा प्रतिवादी नंबर 01 का बनता है।

यह कि उक्त वर्णित आराजी के काश्त करने व लगान अदा करने में वादी का प्रतिवादी नंबर 01 से तनाव बना रहता है, वादी ने आज से 08 दिन पूर्व भी प्रतिवादी नंबर 01 से उक्त आराजी में से वादी के हिस्से में आने वाली आराजी का खाता पृथक कराने के लिये कहा तो उसने इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी के पास उक्त आराजी का खाता विभाजन कराने के लिये दावा पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नंही रहा है. वादी बाई मिटस ऐण्ड बाउंड के आधार पर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी वादी के हिस्से मे आने वाली आराजी का विभाजन कराकर पृथक से

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

राज लगान अंकन कराने व हिस्से में आने वाली आराजी का दखल प्राप्त करने के लिये विभाजन की डिक्री चाहने हेतु यह वाद पेश कर रहा है।

वादी द्वारा पुनः अपने तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास के खसरा नंबर 278 की 1.62 है0 आराजी में से वादी के हिस्से में आने वाली आराजी का खाता व लगान पृथक कर दखल दिलाये जाने के लिये विभाजन की डिक्री पारित की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी की गई, पत्रावली सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत हुई प्रतिवादी क्रम 01 अनुपस्थित तथा प्रतिवादी क्रम 02 राजस्थान सरकार की ओर से पत्रावली में ग्राम बालूहेडा के खसरा नंबर 278 की रकबा 162 हैक्टर आराजी का खाता विभाजन प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। अतः मुताबिक खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खाता विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है:–

क्र0स0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	लगान
1	रामदयाल पुत्र घांसीलाल जाति धाकड सा0देह खातेदार रहन सी बी आई आंवा	278 उत्तरी	0.80	17.60
2	रामप्रसाद पुत्र घांसीलाल जाति धाकड सा0दे	278 दक्षिणी	0.80	17.60
3	रामदयाल, रामप्रसाद पुत्र घांसीलाल जाति धाकड सा. देह रहन हि. रामदयाल का सी बी आई आंवा	278 पश्चिमी	0.02	0.44

नोट क्रम संख्या 03 पर 278 की 0.02 पश्चिमी और की भूमि रास्ते हेतु सुरक्षित रखी जावेगी। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनाक 25.05.2017 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार [illegible])
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड कनवास जिला कोटा

1. रामप्रसाद पुत्र घांसीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास।

बनाम

1 रामदयाल पुत्र घांसीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास।

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर कनवास, जिला कोटा

दावा बाबत विभाजन आराजी अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं 384/14 सन 2014 निर्णय दिंनाक 25.05.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी स्वंय एवं प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि तहसीलदार कनवास के खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार माल ग्राम बालूहेडा के खसरा नंबर 278 की रकबा 1.62 हैक्टर आराजी का भूमि का वादी एवं प्रतिवादी क्रम 01 का हिस्सा निम्न प्रकार है:–

क्र0 स0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	लगान
1	रामदयाल पुत्र घांसीलाल जाति धाकड सा0देह खातेदार रहन सी बी आई आंवा	278 उत्तरी	0.80	17.60
2	रामप्रसाद पुत्र घांसीलाल जाति धाकड सा0दे	278 दक्षिणी	0.80	17.60
3	रामदयाल, रामप्रसाद पुत्र घांसीलाल जाति धाकड सा.देह रहन हि. रामदयाल का सी बी आई आंवा	278 पश्चिमी	0.02	0.44

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

नोट क्रम संख्या 03 पर अंकित 278 की 0.02 है0 पश्चिमी और की भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 01 के रास्ते हेतु सुरक्षित रखी जावेगी। उपरोक्तनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** .. खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25/05/2017 को जारी की गई।

मोहर ....

(प्रमोद कुमार आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	---------NIL---------		स्टाम्प वकालतनामा	---------NIL---------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

(प्रमोद कुमार आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास